उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास

संख्याः 3387 /औ0वि0/2002–133–उद्योग/2001
देहरादूनः दिनांकः 28. सितम्बर 2002

–: विज्ञप्ति :–

मा0 मन्त्रिपरिषद की बैठक दिनांक 31.7.2002 द्वारा पूर्व में उत्तरांचल राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल (बोर्ड) गठित किये जाने विषयक विज्ञप्ति संख्या 2710/औ0वि0/133–उद्योग/2001 दिनांक 8.1.2002 को एतदद्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः एतदद्वारा विज्ञप्ति दिनांक 8.1.2002 को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम सं0 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 (अधिनियम सं0 10 सन् 1960) का अनुकूलन एवं उपान्तरण कतिपय निरसन करते हुए उत्तरांचल राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	मा0 मंत्रीजी, लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/ सचिव, उद्योग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/ सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
5.	राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
7.	श्री आनन्द शेखर तिवारी, बी–1317, इंद्रानगर, लखनऊ	सदस्य (गैरसरकारी)
8.	श्री दानसिंह खडायत, डीडीहाट, पिथौरागढ़	सदस्य (गैरसरकारी)
9.	श्री लाल चन्द्र शर्मा, 21–ए राजपुर रोड़, देहरादून	सदस्य (गैरसरकारी)
10.	श्री चन्द्रसिंह विष्ट, आदर्शनगर, जैती, अल्मोड़ा	सदस्य (गैरसरकारी)
11.	श्री राजेन्द्र साह, खोला, खोलाचौरी, सितोलस्यूं, पौड़ी	सदस्य (गैरसरकारी)

3. उक्त बोर्ड के कार्मिक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व एवं स्वरूप रखेंगे तथा वह बोर्ड के अधीन एवं बोर्ड के कार्मिकों के रूप में कार्यरत होंगे। बोर्ड का कार्य जहां तक संभव हो अपने वर्तमान स्थित कार्यालयों से निष्पादित किया जायेगा। बोर्ड के

आयोजन्नेत्तर पक्ष हेतु वार्षिक अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा जबतक कि बोर्ड अपने कार्यकलापों द्वारा आत्म निर्भर नहीं हो जाता है।

4. अपर सचिव, उद्योग ही पदेन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में कार्य करेंगे। बोर्ड में पूर्ण कालिक सदस्यों एवं पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष की कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी। साथ ही साथ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय संरचना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड स्वयं प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग एवं कार्मिक विभाग के परामर्श से मा0 मुख्यमंत्रीजी के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित करेगा।

5. उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को राज्य सरकार से पूर्वानुमति लेकर एवं राज्य सरकार के समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने के भी अधिकार होंगे।

6. कंसोरशियम बैंकिंग (Consortium Banking) एवं जहॉ अन्यत्र आवश्यकता पडे उस स्थिति में सरकार द्वारा के0वी0आई0सी0 (K.V.I.C.) को ऋण के अनुपात में सरकारी गारन्टी प्रदान करेगी।

7. उत्तरांचल (उ0प्र0खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम–1960) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।

सलग्न–उपरोक्तानुसार।

Shishan

(एस0 कृष्णन्)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0: 3387 / उपरोक्त / दिनांकित /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 लघु एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तरांचल।
3. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त सदस्यगण एवं गैर—सरकारी सदस्यगण, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तरांचल।
7. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।
8. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 60 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
10. समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तरांचल।
11. गोपन अनुभाग।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Puneet 26/9/02

(पुनीत कंसल)
अपर सचिव।